



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH. MONDAY. MARCH 3, 2014
(PHALGUNA 12, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd March, 2014

No. 20—HLA of 2014/20.—The Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 20—HLA of 2014

**THE HARYANA CLINICAL ESTABLISHMENTS
(REGISTRATION AND REGULATION)
BILL, 2014**

A

BILL

to provide for registration and regulation of clinical establishments of different recognized systems of medicines in the State of Haryana and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2014.

Short title,
application and
commencement.

(2) It shall apply to all the clinical establishments in the State of Haryana.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different categories of clinical establishments and for different recognized systems of medicines.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority for Clinical Establishment" means the authority referred in section 10, to hear appeals against the orders of the State Authority for Clinical Establishment;

(b) "clinical establishment" means—

(i) a hospital, maternity home, nursing home, dispensary, clinic, sanatorium or an institution by whatever name called, that offers services, facilities for diagnosis, treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality, pregnancy or dental care in any recognized system of medicine established, administered or maintained by any person or body of persons, whether incorporated or not; or

(ii) a place established as an independent entity or part of an establishment referred to in sub-clause (i), in connection with the diagnosis or treatment of a disease, where pathological, bacteriological, genetic, radiological, chemical, biological investigations or other diagnostic or investigative services with the aid of laboratory or other medical equipment, are usually carried on and which is established, administered or maintained by a person or body of persons, whether incorporated or not, and shall include a clinical establishment owned, controlled or managed by—

(I) the State Government;

(II) a trust, whether public or private;

(III) a company/corporation (including a society) registered under a Central or State Act, whether or not owned by the Central or State Government;

(IV) a local authority; or

(V) single or more doctors,

but shall not include clinical establishments owned, controlled or managed by the Armed Forces.

Explanation.— For the purpose of this clause “Armed Forces” means the forces constituted under the Army Act, 1950 (Central Act 46 of 1950), the Air Force Act, 1950 (Central Act 45 of 1950) and the Navy Act, 1957 (Central Act 62 of 1957);

- (c) “certificate” means a provisional registration certificate issued under section 17 or a permanent certificate issued under section 26, as the case may be;
- (d) “District Authority for Clinical Establishment” means an authority constituted under section 13;
- (e) “emergency medical condition” means a medical condition manifesting itself by acute symptoms of sufficient severity (including severe pain) of such magnitude wherein the absence of immediate medical attention could reasonably be expected to result in—
 - (i) placing the health of an individual or, with respect to a pregnant woman, the health of the woman or her unborn child, in serious jeopardy; or
 - (ii) serious impairment of bodily functions; or
 - (iii) serious dysfunction of any organ or part of the body;
- (f) “Indian Medicine” means the system of Indian Medicine commonly known as Ayurvedic System and Unani System supplemented or not by such modern advancements, as may be declared under the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963 (Punjab Act 42 of 1963);
- (g) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;
- (h) “recognized system of medicine” means Allopathy, Yoga, Naturopathy, Homeopathy or Indian Medicine or any other system of medicine, as may be notified by the Central Government;
- (i) “register” means a register maintained under this Act containing the number of different kinds of clinical establishments under different recognized systems of medicines;
- (j) “registration” means to register under section 17 or 26 and the expression registration or registered shall be construed accordingly;
- (k) “State Authority for Clinical Establishments” means an authority constituted under section 11;
- (l) “State Council” means the State Council for Clinical Establishments constituted under section 3;

- (m) "State Government" means the Government of the State of Haryana;
- (n) "standards" means such conditions, as may be prescribed for the registration and regulation of various kinds of clinical establishments;
- (o) "to stabilize" (with its grammatical variations and cognate expressions) with respect to an emergency medical condition specified in clause (e) means to provide such medical treatment/ First-Aid as per the best available resources in a clinical establishment with indoor facility and if so required, refer the individual to a suitable clinical establishment.

State Council

3. (1) The State Government shall, by notification, constitute for the purposes of this Act, a council to be called the State Council for Clinical Establishments.

(2) The State Council shall consist of the following members, namely :—

- | | |
|---|------------------|
| (i) Secretary, Health Department | Chairperson |
| (ii) Director General, Health Services | Member Secretary |
| (iii) one officer, not below the rank of Director, Health Services | Member |
| (iv) Deputy Director (Policy Matters) | Member |
| (v) Director General Ayush or his representative not below the rank of Assistant Director | Member |
| (vi) one representative each from the — | |
| (a) Haryana Medical Council; | |
| (b) Haryana State Dental Council; | |
| (c) State Nursing Council Haryana; | |
| (d) Haryana State Pharmacy Council; | |
| (vii) one representative from the Indian Medical Association (Haryana State); | |
| (viii) two representatives from reputed non-Governmental organizations working in the field of health, to be nominated by the State Government. | |

(3) The nominated members shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-nomination for one more term of three years.

(4) The State Council may perform its functions notwithstanding any vacancy therein.

4. A person shall be disqualified for being nominated as a member of the State Council, if he—

Disqualifications for appointment as member.

(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) is of unsound mind; or

(d) has been removed or dismissed from the service of the Central Government or the State Government or a corporation or council or board owned or controlled by the Central Government or the State Government; or

(e) has, in the opinion of the State Government, such financial or other interest in the State Council, as is likely to prejudicially affect in discharge of his functions as a member.

5. The State Council shall perform the following functions, namely:—

Functions of State Council.

(a) compiling and updating the register;

(b) hearing complaints;

(c) determine within a period of two years from its constitution, the standards to be maintained by the clinical establishments and supervise their implementation;

(d) collect the statistics in respect of clinical establishments;

(e) lay down guidelines, procedures and functions for the State Authority for Clinical Establishments and the District Authority for Clinical Establishment;

(f) lay down guidelines, standards, procedures etc. for different diseases under different recognised systems of medicines; and

(g) any other function, as determined by the State Government, from time to time.

6. The non-official members of the State Council shall be entitled to such allowances, as may be prescribed.

Allowances of members.

7. The State Council shall frame bye-laws for regulating the procedure for the conduct of its business.

Bye-laws.

Meeting.

8. The State Council shall meet at least once in three months.

Constitution of sub-committees.

9. The State Council may, with the approval of the State Government, constitute sub-committees for the consideration of particular matter: and may appoint to such sub-committees, persons from relevant fields, as it deems fit, who are not members of the State Council, for a period not exceeding two years.

Appellate Authority for Clinical Establishments.

10. (1) There shall be an Appellate Authority for Clinical Establishments to hear the appeals against the orders of the State Authority for Clinical Establishment consisting of the following members, namely :—

- | | |
|--|------------------|
| (i) Secretary, Health Department | Chairperson |
| (ii) Director General, Health Services | Member Secretary |
| (iii) Additional Legal Remembrancer
Cum-Special Secretary, Law and
Legislative Department, Haryana | Member |

(2) The Appellate Authority may, if it so desires, take the assistance of a subject specialist or professional or seek his advice on the matter in issue.

Constitution of State Authority for Clinical Establishments.

11. (1) The State Government shall, by notification constitute an authority to be called the State Authority for Clinical Establishment for permanent registration of the clinical establishments, to hear the appeals relating to refusal to grant or renew the provisional registration by the District Authority for Clinical Establishment, to entertain complaints and to perform any other duties, as may be assigned.

(2) The State Authority for Clinical Establishment shall consist of the following members, namely :—

- | | |
|--|----------|
| (i) Additional Director General, Health Services | Chairman |
| (ii) Director, Health Services (Lab) | Convener |
| (iii) One representatives of Director, Health Services (Dental) | Member |
| (iv) One Doctor from Ayush Department | Member |
| (v) One representatives from the Indian Medical Association, Haryana | Member |

Power to seek advice or assistance.

12. The State Council or the State Authority for Clinical Establishment may, if it so desires, associate or seek advice from any person or body for carrying out any of the provisions of this Act.

District Authority for Clinical Establishments.

13. (1) The State Government shall, by order, constitute an authority to be called the District Authority for Clinical Establishment for each district for provisional registration of clinical establishments.

(2) The District Authority for Clinical Establishment shall consist of the following members, namely :—

(a) Civil Surgeon	Chairperson
(b) Deputy Civil Surgeon (to be nominated rotation wise by the Chairperson)	Convener
(c) one representative of the Deputy Commissioner	Member
(d) one representative of Indian Medical Association, Haryana District Branch of the concerned District	Member
(e) one Senior Dental Surgeon from District Government Hospital	Member
(f) District Ayush Officer or his representative	Member

14. (1) No person shall run a clinical establishment unless it has been duly registered in accordance with the provisions of this Act. Requirement for registration.

(2) Every clinical establishment existing prior to commencement of this Act, shall make an application for its provisional registration within six months from the date of the commencement of this Act.

(3) Notwithstanding that a clinical establishment is already registered under any existing law requiring registration of such establishment, it shall apply for provisional registration under sub-section (2).

15. (1) Clinical establishments of different recognized systems of medicines shall be classified into such categories, as may be specified by the State Government, from time to time. Classification of clinical establishments.

(2) The State Government may prescribe different standards for different categories of clinical establishments.

16. (1) For the purposes of provisional registration of the clinical establishment, an application in such form alongwith such particulars and fee, as may be prescribed, shall be made to the District Authority for Clinical Establishment. Application for provisional registration certificate.

(2) The application may be filed in person or by post or online.

(3) If a clinical establishment has branches at different locations, then each branch shall apply separately for registration.

Provisional registration certificate.

17. The District Authority for Clinical Establishment may, within a period of fifteen days from the date of receipt of such application, after verification of documents, grant to the applicant a provisional registration certificate in such form, containing such particulars and information, as may be prescribed.

No inspection prior provisional registration.

18. No inspection of the clinical establishment, its building, laboratories, equipments etc. shall be conducted prior to grant of the provisional registration certificate.

Validity of provisional registration certificate.

19. Subject to the provisions of section 20, every provisional registration certificate shall be valid upto the last day of the twenty-fourth month from the date of its issue and such registration shall be renewable.

Time limit provisional registration.

20. Where the clinical establishments in respect of which standards have been notified, provisional registration certificate shall not be granted or renewed beyond.—

- (i) the period of two years from the date of notification of the standards for clinical establishments which came into existence before such notification; and
- (ii) the period of one year from the date of notification of standards for clinical establishments which came into existence after such notification.

Application for permanent registration certificate.

21. An application for permanent registration certificate by a clinical establishment shall be made to the State Authority for Clinical Establishment in such form and manner and shall be accompanied by such fee, as may be prescribed.

Conditions for permanent registration.

22. (1) Every clinical establishment shall fulfill the following conditions for permanent registration—

- (i) minimum standards of facilities and services;
- (ii) minimum requirement of personnel;
- (iii) provisions for maintenance of records; and
- (iv) such other conditions, as may be prescribed.

(2) The clinical establishment with indoor facility shall provide within the available staff and facilities, such medical examination and treatment/First-Aid as per best available resources and as per the standards prescribed for said clinical establishment, as may be required for the emergency medical condition of any individual who comes or is brought to such a clinical establishment to stabilize such person.

Verification of application.

23. The clinical establishment shall submit an undertaking along with evidence of having been complied with the standards, in such manner, as may be prescribed.

24. The State Authority for Clinical Establishment shall, within such period, as may be prescribed, pass an order—
- (a) granting the certificate in such form and manner, as may be prescribed; or
- (b) disallowing the application for grant of certificate:
- Provided that in case the application is disallowed, the State Authority for Clinical Establishment shall record the reasons for doing so.
25. The disallowing of an application for permanent registration certificate shall not debar a clinical establishment from applying afresh for permanent registration certificate, after providing such evidence, as may be required, of having rectified the deficiencies due to which the earlier application was disallowed.
26. Permanent registration certificate shall be granted by the State Authority for Clinical Establishment only after satisfying itself that such clinical establishment fulfils the prescribed standards and conditions required for granting permanent registration certificate.
27. (1) The permanent registration shall be valid for a period of seven years from the date of its issue.
- (2) The application for renewal of permanent registration certificate shall be made within six months before the expiry of the validity of the certificate alongwith such fee, as may be prescribed and in case the application of renewal is not submitted within the stipulated period, the State Authority for Clinical Establishment may allow renewal of registration on payment of such enhanced fee, as may be prescribed.
28. The State Government may prescribe different fee for registration of different categories of clinical establishments.
29. The certificate shall be affixed in a conspicuous place in the clinical establishment in such manner so as to be visible to everyone visiting such establishment.
30. In case the certificate is lost, destroyed, mutilated or damaged, the concerned authority shall issue a duplicate certificate on the request of the clinical establishment, on payment of such fee, as may be prescribed.
31. (1) The certificate of registration shall be non-transferable.
- (2) In the event of change of ownership or management, the transferor and transferee of clinical establishment shall inform the concerned issuing authority, of such change, in such manner, as may be prescribed.
- (3) In the event of change of category, the clinical establishment shall surrender the certificate in original and apply afresh for grant of certificate of registration alongwith such fee, as may be prescribed.

Allowing or disallowing of application.

Fresh application for permanent registration.

Permanent registration.

Validity and renewal of permanent registration.

Levy of fee by State Government.

Display of certificate.

Duplicate certificate.

Certificate to be non-transferable.

(4) In the event of change of location of the clinical establishment, it shall get the necessary change incorporated in the registration certificate, in such manner alongwith such fee, as may be prescribed.

(5) On ceasing to function as a clinical establishment, the certificate in respect of such clinical establishment shall be surrendered to the concerned authority.

Register of clinical establishments.

32. (1) The District Authority for Clinical Establishment shall compile and maintain in such format, as may be prescribed, a register of clinical establishments, provisionally registered by it and shall enter the particulars of the certificate so issued, in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The District Authority for Clinical Establishment shall supply to the State Authority for Clinical Establishment a copy of every entry including all additions and amendment made in the register during the preceeding month by seventh day of the following month to ensure that the register is updated with the registers maintained by the State Authority for Clinical Establishment.

Maintenance of register.

33. (1) The State Authority for Clinical Establishment shall maintain in such form and containing such particulars, as may be prescribed, a register of clinical establishments registered in the State.

(2) The State Authority for Clinical Establishment shall supply in such format, as may be prescribed, a copy of the register to the State Council and shall inform the State Council of all additions and other amendments made in such register on monthly basis.

Inspection of registered clinical establishments.

34. (1) The State Authority for Clinical Establishment or the concerned District Authority for Clinical Establishment or any officer duly authorised by it shall have the right to cause an inspection of, or inquiry in respect of any registered clinical establishment, its building, laboratories, equipments etc. as also of the work conducted or done by the clinical establishment, as it may direct and to cause an inquiry to be made in respect of any other matter connected with the clinical establishment and the establishment shall be entitled to be represented therein.

(2) The State Authority for Clinical Establishment or the concerned District Authority for Clinical Establishment or an officer duly authorized by it shall give forty-eight hours notice prior to inspection of the registered clinical establishment. The inspection shall be carried out during the office hours.

(3) The State Authority for Clinical Establishment or the concerned District Authority for Clinical Establishment shall communicate to the clinical establishment its views with reference to the outcome of such inspection or inquiry and may, after obtaining the opinion of the clinical establishment thereon, advise the clinical establishment on the action to be taken.

(4) The clinical establishment shall report to the concerned authority regarding the action, if any, which is proposed to be taken or has been taken in pursuance to the results of such inspection or inquiry and such report, shall be furnished within such time, as the concerned authority may direct.

(5) Where the clinical establishment does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the concerned authority, it may, after considering any explanation furnished or representation made by the clinical establishment, issue such directions and the clinical establishment shall comply with such directions, within such time as indicated therein.

35. (1) If, on a complaint or otherwise, at any time after any clinical establishment has been registered, the State Authority for Clinical Establishment or the concerned District Authority for Clinical Establishment is satisfied that,—

Cancellation of registration

- (a) the conditions of the registration are not being complied with;
or
- (b) there is such grave contravention of any of the standards or the provisions of this Act or the rules made thereunder; as may be prescribed.

it may issue a notice to the clinical establishment to show cause, within a period of one month, as to why its certificate may not be cancelled for the reasons mentioned in the notice.

(2) If after giving a reasonable opportunity to the clinical establishment, the District Authority for Clinical Establishment is satisfied that there has been a breach of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, it may recommend cancellation of its registration to the State Authority for Clinical Establishment.

(3) The State Authority for Clinical Establishment shall on a complaint or otherwise or in the cases referred to in sub-section (2), if satisfied, may cancel the registration after giving an opportunity of hearing to the concerned clinical establishment.

(4) Every order made under sub-section (3) shall take effect—

- (a) where no appeal has been preferred against such order then immediately on the expiry of the period prescribed for such appeal; and
- (b) where such appeal has been preferred and it has been dismissed then from the date of the order of such dismissal:

Provided that the State Authority for Clinical Establishment, after cancellation of the registration for reasons to be recorded in writing, may immediately restrain the clinical establishment to continue as such, if there is an imminent danger to the health and safety of patients.

Bar to run
unregistered
clinical
establishment.

36. (1) The State Authority for Clinical Establishment or the concerned District Authority for Clinical Establishment or an officer authorised by it may, if there is any reason to suspect that anyone is carrying on a clinical establishment without registration or after cancellation of registration or after restrain orders under the proviso to sub-section (4) of section 35 or on complaint or otherwise, enter and search in such manner, as may be prescribed to cause an inquiry to be made in respect of such matter or any other matter connected with that clinical establishment at any reasonable time and the clinical establishment shall, offer reasonable facilities for inspection or inquiry and shall be entitled to be represented thereat.

(2) If after enquiry by the State Authority for Clinical Establishment or on report of the District Authority for Clinical Establishment or an officer authorized in this behalf, the State Authority for Clinical Establishment is satisfied that the said clinical establishment is unregistered or carrying on after cancellation of registration or after passing restrain orders, it shall pass orders for immediate closure of such clinical establishment alongwith a fine which may extend to fifty thousand rupees.

(3) Any person who continues to run a clinical establishment after the order of closure under sub-section (2), shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years and with fine which may extend to five lac rupees.

Imposition of
fine.

37. (1) The State Government may prescribe such contraventions and fine thereof, not exceeding five lac rupees, for which no fine has been provided in the Act.

(2) Whoever knowingly serves in a clinical establishment not duly registered under this Act, shall be punished with fine which may extend upto one month's gross salary or twenty-five thousand rupees, whichever is less.

(3) Whoever wilfully disobeys any direction lawfully given by any person or authority empowered under this Act to give such direction, shall be punished with fine which may extend to one lac rupees.

(4) Whoever being required by or under this Act to supply any information, willfully withholds such information or gives information which he knows to be false or which he does not believe to be true, shall be punished with fine which may extend to two lac rupees and shall also be liable to be prosecuted under the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

(5) For the purpose of adjudging under sub-sections (3) and (4), the State Authority for Clinical Establishment shall hold an inquiry in the prescribed manner after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any fine.

(6) While holding an inquiry, the State Authority for Clinical Establishments shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case, to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the authority, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry and if, on such inquiry, it is satisfied that the person has failed to comply with the provisions specified in sub-sections (3) and (4), it may by order impose the fine specified in those sub-sections, to be deposited within thirty days of the order.

(7) Whoever contravenes any provisions of this Act or any rules made thereunder resulting in such deficiencies, as may be prescribed that do not pose any imminent danger to the health and safety of any patient and can be rectified within a reasonable time, shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees.

(8) While determining the quantum of fine, the State Authority for Clinical Establishment shall take into account the category, size and type of the clinical establishment and local conditions of the area in which such clinical establishment is situated.

38. Save as otherwise provided, the State Authority for Clinical Establishment shall be the competent authority to impose the fine. Authority to impose fine.

39. On the failure to pay the fine, the State Authority for Clinical Establishment shall prepare a certificate signed by an officer authorized by it, specifying the fine due from such person and send it to the Collector of the District in which such person owns any property or resides or carries on his business and the said Collector, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder in accordance with the provisions of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887), as if it were an arrear of land revenue. Recovery of fine.

40. (1) Any person aggrieved by an order of the District Authority for Clinical Establishment refusing to grant or renew a provisional registration certificate may prefer an appeal to the State Authority for Clinical Establishments. Appeals.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) passed by the State Authority for Clinical Establishment may file an appeal to the Appellate Authority for Clinical Establishments.

(3) Any person aggrieved by an order of the State Authority for Clinical Establishment refusing to grant or renew a certificate of permanent registration or cancellation of a certificate of provisional or permanent registration or closure of a clinical establishment may prefer an appeal to the Appellate Authority for Clinical Establishment.

(4) Every appeal under sub-sections (1), (2) or (3) shall be made within such period, in such form and accompanied by such fee, as may be prescribed.

(5) The Appellate Authority for Clinical Establishments or State Authority for Clinical Establishment may entertain an appeal preferred after the expiry of the prescribed period if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(6) The decision of the Appellate Authority for Clinical Establishments shall be final.

Cognizance of
offence.

41. (1) No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by the State Authority for Clinical Establishment or an officer authorized in this behalf by the State Authority for Clinical Establishment, as the case may be.

(2) An offence under this Act shall be triable by a Judicial Magistrate First Class.

Protection of
action taken in
good faith.

42. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any authority or any member of such authority or any officer authorised in this behalf, in respect of anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any rule made thereunder.

Power to give
directions.

43. Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the State Authority for Clinical Establishment shall have the power to issue directions to the clinical establishments regarding furnishing returns, statistics or any other information to it or the District Authority for Clinical Establishment, as it may require.

Furnishing of
returns etc.

44. Every clinical establishment shall, within such time or within such extended time, furnish to the concerned District Authority for Clinical Establishment or State Authority for Clinical Establishment, such returns or the statistics and other information in such manner, as may be prescribed.

Employees to be
public servants.

45. Every member of the State Council, the State Authority for Clinical Establishment and the District Authority for Clinical Establishment, shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act.

Powers of civil
court.

46. For the purpose of proceedings under this Act, the Appellate Authority for Clinical Establishments, the State Authority for Clinical Establishment and the District Authority for Clinical Establishment shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document or any other material which is produceable as evidence;

- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (d) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
- (e) such other matters, as may be prescribed.

47. No Civil Court shall have the jurisdiction to entertain or proceed with a suit, settle, decide or deal with any matter which under this Act, is required to be settled, decided or dealt with by an authority under this Act. Bar of jurisdiction.

48. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty: Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

49. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the form to be filed along with details of application and the fee to be paid for provisional registration;
- (b) the form to be filed along with details of application and fee to be paid for permanent registration;
- (c) the particulars and information contained in certificate of provisional registration;
- (d) the particulars and information contained in certificate of permanent registration;
- (e) the fees to be paid to issue a duplicate certificate;
- (f) the change of ownership or management to be informed by the clinical establishment to the authority;
- (g) the fee to be paid for renewal of provisional registration certificate;
- (h) the enhanced fee to be charged for renewal after expiry of the provisional registration certificate;
- (i) the fee to be paid for renewal of permanent registration certificate;
- (j) the enhanced fees to be charged for renewal after expiry of the permanent registration;

-
- (k) the manner of submitting evidence by the clinical establishments having complied with the standards;
 - (l) different fee for registration for different categories of clinical establishments;
 - (m) the manner of entry and search of clinical establishment;
 - (n) the form, fee, manner and the period within which an appeal may be preferred before different authorities;
 - (o) the form and the manner for maintaining the register;
 - (p) the manner of holding an inquiry;
 - (q) the manner and the time within which the returns and information is to be furnished;
 - (r) allowances for non-official members;
 - (s) the determination of standards for clinical establishments;
 - (t) maintenance of records and reporting;
 - (u) the powers of civil court;
 - (v) any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) Every rule made by the State Government under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a general perception that current regulatory process for health care providers is inadequate or is not responsive enough to ensure acceptable quality of health services and prevent negligence in health care. Presently, there is no supervision and regulation of quality of health care services being provided by public and private sectors to the citizens in the State of Haryana. Time to time concerns have been raised about how to improve quality of health care by variety of stakeholders including citizens, State Government, NGOs, private health care providers, National Human Rights Commission and by Judiciary. The problems and issues highlighted range from inadequate and inappropriate treatment, excessive use of higher technologies to serious problems of medical malpractice and negligence. As there is no system of registration of the clinical establishment, there also is no way to distinguish the illegal operations. Besides, for management of critical diseases which are posing a grave threat to human life, and for improving key health indicators, strategy, experience and knowledge need to be shared across all clinical establishments. Successful delivery of health care services in the State is possible only with a robust regulatory frame work of registration and maintenance of standards of health services. Accordingly, it is felt that there is an urgent need for State Legislation for registration of clinical establishment and for ensuring uniform standards of facilities and services by the Clinical Establishments throughout the State of Haryana.

In view of the above, The Haryana Clinical Establishments (Registration & Regulation) Bill, 2014 has been drafted after detailed consultation with various professionals and IMA Haryana chapter.

The salient features of the proposed legislation are as under :—

- (i) The proposed legislation provides constitution of State Council under the Chairmanship of Secretary Health Department in which Director General Health Services, Haryana, Directors, Department Ayush, State Medical, Dental, Nursing and Pharmacy Councils, IMA Haryana etc. are members.
- (ii) The State Council shall perform the functions like, compiling and updating the register; determine the standard for clinical establishments and supervise their implementations; collect the statistics in respect of clinical establishments; lay down

guidelines, procedures and function for State Authority and District Authority; lay down guidelines, standards, procedure etc. for different diseases under different recognised systems of medicine; and perform any other function as determined by the State Government, from time to time.

(iii) The State Government shall by notification constitute a State Authority for Clinical Establishment, for the purpose of permanent registration for Clinical Establishments and to hear appeals against the District Authority for Clinical Establishments etc.

(iv) The State Government shall by notification constitute a District Authority for Clinical Establishment, for each district for the purpose of provisional registration of Clinical Establishments etc.

(v) No person shall establish and run a Clinical Establishment unless it has been registered in accordance with the provisions of proposed bill.

(vi) It is proposed the Clinical Establishment already in existence may be allowed for provisional registration to carry out their business. There shall be no prior enquiry for provisional registration. But the authority shall have the power to make enquiry in accordance with the provisions of the bill and rules made there under.

(vii) The Clinical Establishment will be given permanent registration for a period of seven years, if they comply with the standards prescribed by the State Council/State Government.

(viii) The concerned authorities shall have the power to close down the unregistered clinics as per the provisions of this bill.

(ix) The concerned authorities shall have the power to impose penalties or cancel registration. Clinical Establishment fails to comply with the provisions of this bill.

(x) Different rates of fee shall be charged for registration and filing of appeals.

- (xi) There shall be a register of Clinical Establishments at District and State level.
- (xii) Provision of appeals against orders of District/State Authority for Clinical Establishment has been made.
- (xiii) Any person aggrieved by the decision of State Authority for Clinical Establishment, may file appeal with an Appellate Authority, whose decision would be final.
- (xiv) The State Government shall have the powers to make rules under the provisions of this bill.

5. The bill seeks to achieve the above objectives

RAO NARENDER SINGH,
Health Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 3rd March, 2014

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per sections 28 and 37 of the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill, 2014, the provisions have been made for levy of fee and imposition of fine on the clinical establishments as follows :—

28. The State Government may prescribe different fee for registration of different categories of clinical establishments.

37. (1) The State Government may prescribe such contraventions and fine thereof, not exceeding five lac rupees, for which no fine has been provided in the Act.

(2) Whoever knowingly serves in a clinical establishment not duly registered under this Act, shall be punished with fine which may extend upto one month's gross salary or twenty-five thousand rupees, whichever is less.

(3) Whoever wilfully disobeys any direction lawfully given by any person or authority empowered under this Act to give such direction, shall be punished with fine which may extend to one lac rupees.

(4) Whoever being required by or under this Act to supply any information, willfully withholds such information or gives information which he knows to be false or which he does not believe to be true, shall be punished with fine which may extend to two lac rupees and shall also be liable to be prosecuted under the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

(5) For the purpose of adjudging under sub-sections (3) and (4), the State Authority for Clinical Establishment shall hold an inquiry in the prescribed manner after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any fine.

(6) While holding an inquiry, the State Authority for Clinical Establishments shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case, to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the authority, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry and if, on such inquiry, it is satisfied that the person has failed to comply with the provisions specified in sub-sections (3) and (4), it may by order impose the fine specified in those sub-sections, to be deposited within thirty days of the order.

(7) Whoever contravenes any provisions of this Act or any rules made thereunder resulting in such deficiencies, as may be prescribed that do not pose any imminent danger to the health and safety of any patient and can be rectified within a reasonable time, shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees.

(8) While determining the quantum of fine, the State Authority for Clinical Establishment shall take into account the category, size and type of the clinical establishment and local conditions of the area in which such clinical establishment is situated.

As provisions have been made for levy of fee and imposition of fine, no estimation of income to be deposited in the treasury can be made.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 49 of the proposed bill empowers State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 20-एच.एल.ए.

हरियाणा नैदानिक स्थापना (पंजीकरण तथा विनियमन) विधेयक, 2014

हरियाणा राज्य में विभिन्न मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की
नैदानिक स्थापनाओं के पंजीकरण तथा
विनियमन और उनसे संबंधित
या उनके आनुषंगिक
मामलों के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नैदानिक स्थापना (पंजीकरण तथा विनियमन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, लागूकरण तथा प्रारम्भ।
- (2) यह हरियाणा राज्य में सभी नैदानिक स्थापनाओं को लागू होगा।
- (3) यह ऐसी तिथि जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, को लागू होगा:

परन्तु नैदानिक स्थापनाओं के विभिन्न प्रवर्गों के लिए तथा विभिन्न मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए विभिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "अपील प्राधिकरण नैदानिक स्थापना" से अभिप्राय है, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए धारा 10 में निर्दिष्ट प्राधिकरण ;

(ख) "नैदानिक स्थापना" से अभिप्राय है —

- (i) अस्पताल, प्रसवशाला, उपचर्या-गृह, औषधालय, क्लिनिक, आरोग्य-निवास या किसी भी नाम से कही जाने वाली कोई संस्था जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय, चाहे निगमित है या नहीं, द्वारा स्थापित, प्रशासित या अनुरक्षित किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में बीमारी, चोट, अंगविकार, असामान्यता गर्भावस्था या दन्त देखरेख के लिए निदान, उपचार या देखरेख हेतु सेवाएं, सुविधाएं प्रदान करती है ; या

(ii) किसी बीमारी के निदान या उपचार के संबंध में उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी स्थापना के स्वतंत्र अस्तित्व या भागरूप में स्थापित कोई स्थान जहां सामान्यतः रोगविज्ञान, जीवविज्ञानी, आनुवंशिक, रेडियोलोजिकल, रसायन, प्रयोगशाला अथवा अन्य चिकित्सा उपकरण की सहायता से जैविक अनुसंधानों या अन्य निदान या अनुसंधानिक सेवाएं चलाई जाती हैं और जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय, चाहे निगमित है या नहीं द्वारा स्थापित, प्रशासित या अनुरक्षित है और इसमें निम्नलिखित द्वारा स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या प्रबन्धित कोई नैदानिक स्थापना शामिल होगी :-

- I राज्य सरकार ;
- II न्यास, चाहे पब्लिक या प्राइवेट ;
- III केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी/निगम (सोसाइटी सहित), चाहे वह केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन है या नहीं ;
- IV स्थानीय प्राधिकरण ; या
- V एकल या ज्यादा डाक्टर,

किन्तु इसमें सशस्त्र बल द्वारा स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या प्रबन्धित नैदानिक स्थापनाएं शामिल नहीं होंगी।

व्याख्या.— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "सशस्त्र बल" से अभिप्राय है, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 46), वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 45) और नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 62) के अधीन गठित बल ;

- (ग) "प्रमाण-पत्र" से अभिप्राय है, धारा 17 के अधीन जारी किया गया अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र या धारा 26 के अधीन जारी किया गया स्थायी प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो ;
- (घ) "जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना" से अभिप्राय है, धारा 13 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण ;
- (ङ) "आपात चिकित्सा स्थिति" से अभिप्राय है, ऐसी मात्रा के पर्याप्त गंभीरता के अतिपाती लक्षण (तीव्र दर्द सहित) द्वारा स्वयं प्रकट करने वाली चिकित्सा स्थिति जिसमें तुरन्त चिकित्सा सावधानी अभाव की युक्तियुक्त अपेक्षा की जा सकती है, के परिणामस्वरूप -

(i) किसी वैयक्तिक या किसी गर्भवती महिला, महिला या उसके अजन्मे बालक के स्वास्थ्य के संबंध में, गंभीर संकट में स्वास्थ्य स्थिति ; या

- (ii) शारीरिक कृत्यों को गंभीर क्षति ; या
- (iii) शरीर के किसी अंग या भाग की गंभीर दुष्क्रिया ;
- (च) "भारतीय चिकित्सा" से अभिप्राय है, आयुर्वेदिक पद्धति तथा यूनानी पद्धति के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात भारतीय चिकित्सा पद्धति जो ऐसी आधुनिक और वृद्धियों से अनुपूरक या अननुपूरक हो जो पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 42) के अधीन घोषित की जाए ;
- (छ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;
- (ज) "मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति" से अभिप्राय है, ऐलोपैथी, योगा, नेचरोपैथी, होम्योपैथी या भारतीय चिकित्सा या कोई अन्य चिकित्सा पद्धति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;
- (झ) "रजिस्टर" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विभिन्न मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के अधीन नैदानिक स्थापनाओं की विभिन्न किस्मों की संख्या रखने वाले अनुरक्षित रजिस्टर ;
- (ञ) "पंजीकरण" से अभिप्राय है, धारा 17 या 26 के अधीन पंजीकरण करना और पंजीकरण या पंजीकृत अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
- (ट) "राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना" से अभिप्राय है, धारा 11 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण ;
- (ठ) "राज्य परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित राज्य परिषद् नैदानिक स्थापना ;
- (ड) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;
- (ड) "मानक" से अभिप्राय है, ऐसी अवस्थाएं जो नैदानिक स्थापनाओं के विभिन्न किस्मों के पंजीकरण के लिए विहित की जाएं ;
- (ण) "खण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट आपात, चिकित्सा अवस्था के संबंध में स्थिर करना" (इसके व्याकरणिक विभिन्नताएं तथा सजातीय पदों सहित) से अभिप्राय है, अन्तरंग सुविधा सहित किसी नैदानिक स्थापना में बेहतर उपलब्ध स्रोतों के अनुसार ऐसा चिकित्सा उपचार/प्रथम उपचार उपलब्ध करवाना और यदि इस प्रकार अपेक्षित है, उपयुक्त नैदानिक स्थापना में वैयक्तिक को भेजेगी ।

राज्य परिषद्।

3. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य परिषद् नैदानिक स्थापना कही जाने वाली परिषद् गठित करेगी।

(2) राज्य परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | |
|---|---------------|
| (i) सचिव, स्वास्थ्य विभाग | -- अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | -- सदस्य सचिव |
| (iii) एक अधिकारी जो निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की पदवी से नीचे का न हो | -- सदस्य |
| (iv) उप निदेशक (पॉलिसी मामले) | -- सदस्य |
| (v) महानिदेशक, आयुष या उसका प्रतिनिधि जो सहायक निदेशक की पदवी से नीचे का न हो | -- सदस्य |

(vi) निम्नलिखित प्रत्येक से एक प्रतिनिधि --

(क) हरियाणा चिकित्सा परिषद् ;

(ख) हरियाणा राज्य दन्त चिकित्सा परिषद् ;

(ग) राज्य नर्सिंग परिषद्, हरियाणा ;

(घ) हरियाणा राज्य भेषजी परिषद् ;

(vii) भारतीय चिकित्सक संगम (हरियाणा राज्य) में से एक प्रतिनिधि ;

(viii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत विख्यात गैर-सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) राज्य परिषद् उसमें किसी रिक्ति के होते हुए भी अपने कृत्य कर सकती है।

सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु निरहंताएं।

4. कोई व्यक्ति राज्य परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए निरहंता हो जाएगा, यदि वह --

(क) किसी अपराध जो राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता वाला है, के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दण्डित किया गया है ; या

(ख) अनुमोचित दिवालिया हो गया है ; या

- (ग) विकृत चित्त हो गया है ; या
- (घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी निगम या परिषद् या बोर्ड की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है ; या
- (ङ) राज्य परिषद् में, राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे किसी सदस्य के रूप में उसके कृत्य के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना बनी रहती है ।

5. राज्य परिषद् निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् :-

राज्य परिषद् के कृत्य ।

- (क) रजिस्टर को संकलन तथा अद्यतन करना ;
- (ख) शिकायतों की सुनवाई करना ;
- (ग) नैदानिक स्थापनाओं द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले मानक इसकी स्थापना से दो वर्ष की अवधि के भीतर अवधारित करना और उनके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना ;
- (घ) नैदानिक स्थापनाओं के संबंध में आंकड़े एकत्रित करना ;
- (ङ) राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना तथा जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना के लिए मार्गदर्शनों, प्रक्रियाओं तथा कृत्यों को अधिकथित करना ;
- (च) विभिन्न मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के अधीन विभिन्न रोगों हेतु मार्गदर्शनों, मानकों, प्रक्रियाओं इत्यादि को अधिकथित करना ; तथा
- (छ) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अवधारित कोई अन्य कृत्य करना ।

6. राज्य परिषद् के गैर-सरकारी सदस्य ऐसे भक्तों के लिए हकदार होंगे जो विहित सदस्यों के भक्ते किए जाएं ।

7. राज्य परिषद् अपने कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु उप-विधियां । उप-विधियां बना सकती है ।

8. राज्य परिषद् तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

बैठक ।

9. राज्य परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से, विशिष्ट मामलों के विचारण के लिए उप-समितियां गठित कर सकती है; तथा ऐसी उप-समितियों के लिए सुसंगत क्षेत्रों से ऐसे व्यक्तियों जो वह उचित समझे, जो राज्य परिषद् के सदस्य नहीं हैं, को दो वर्ष की ऐसी अनधिक अवधि के लिए नियुक्त कर सकती है ।

उप-समितियों का गठन ।

नैदानिक स्थापनाओं
के लिए अपील
प्राधिकरण।

10. (1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपील प्राधिकरण नैदानिक स्थापना होगी, अर्थात् :-

- | | |
|---|--------------|
| (i) सचिव, स्वास्थ्य विभाग | - अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | - सदस्य सचिव |
| (iii) अपर विधि परामर्शी एवं विशेष सचिव,
हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी
विभाग। | - सदस्य |

(2) अपील प्राधिकरण यदि वह ऐसा करने का इच्छुक है, तो वह विषय विशेषज्ञ या व्यवसायिक की सहायता ले सकता है या विवाद्य विषय पर उसकी सलाह ले सकता है।

राज्य प्राधिकरण
नैदानिक स्थापना का
गठन।

11. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नैदानिक स्थापनाओं के स्थाई पंजीकरण के लिए, जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना द्वारा अनन्तिम पंजीकरण प्रदान करने या नवीनीकरण करने से इन्कार करने से सम्बन्धित अपीलों की सुनवाई के लिए, शिकायतों को ग्रहण करने तथा किन्हीं अन्य कर्तव्य, जो सौंपे जाएं, को करने के लिए राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना कहे जाने वाले प्राधिकरण का गठन करेगी।

(2) राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | |
|--|-----------|
| (i) अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | - अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (प्रयोगशाला) | - संयोजक |
| (iii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (दन्त) का एक
प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (iv) आयुष विभाग से एक डाक्टर | - सदस्य |
| (v) भारतीय चिकित्सक संगम (हरियाणा)
से एक प्रतिनिधि | - सदस्य |

सलाह या सहायता
मांगने की शक्ति।

12. राज्य परिषद् या राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना यदि वह इस प्रकार इच्छुक है, तो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु किसी व्यक्ति या निकाय से सहयुक्त हो सकती है या सलाह मांग सकती है।

जिला प्राधिकरण
नैदानिक स्थापना।

13. (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नैदानिक स्थापनाओं के अनन्तिम पंजीकरण के लिए प्रत्येक जिला हेतु जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना कहे जाने वाला प्राधिकरण गठित कर सकती है।

(2) जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | |
|--|-----------|
| (क) सिविल सर्जन | - अध्यक्ष |
| (ख) उप सिविल सर्जन
(अध्यक्ष द्वारा बारी-बारी से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा) | - संयोजक |
| (ग) उपायुक्त का एक प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (घ) भारतीय चिकित्सक संगम, हरियाणा,
सम्बन्धित जिले की जिला शाखा | - सदस्य |
| (ङ) जिला सरकारी अस्पताल से एक वरिष्ठ
दन्त चिकित्सा सर्जन | - सदस्य |
| (च) जिला आयुष अधिकारी या उसका प्रतिनिधि | - सदस्य। |

14. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक नैदानिक स्थापना नहीं चलायेगा जब तक यह इस पंजीकरण हेतु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से पंजीकृत नहीं करवायी गई है। अपेक्षा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विद्यमान प्रत्येक नैदानिक स्थापना इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से छह मास के भीतर इसके अनन्तिम पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी।

(3) किसी बात के होते हुए भी कि कोई नैदानिक स्थापना ऐसी स्थापना के पंजीकरण की अपेक्षा करने वाली किसी विद्यमान विधि के अधीन पहले से ही पंजीकृत है, तो यह उपधारा (2) के अधीन अनन्तिम पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी।

15. (1) विभिन्न मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की नैदानिक स्थापनाओं को नैदानिक स्थापनाओं ऐसे प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट वग वर्गीकरण। किया जाए।

(2) राज्य सरकार नैदानिक स्थापनाओं के विभिन्न प्रवर्गों के लिए विभिन्न मानक विहित कर सकती है।

16. (1) नैदानिक स्थापना के अनन्तिम पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए, यथाविहित अनन्तिम पंजीकरण ऐसे विवरणों तथा फीस सहित ऐसे प्रोफार्मा में आवेदन जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को प्रमाण-पत्र के लिए किया जाएगा। आवेदन।

(2) आवेदन व्यक्तिगत रूप में या डाक द्वारा या ऑनलाइन दायर किया जा सकता है।

(3) यदि नैदानिक स्थापना की शाखाएं विभिन्न अवस्थानों पर स्थित हैं, तो प्रत्येक शाखा पंजीकरण के लिए पृथक रूप से आवेदन करेगी।

अनंतिम पंजीकरण
प्रमाण-पत्र।

17. जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आवेदक को यथाविहित ऐसे विवरण तथा सूचना रखने वाले ऐसे प्ररूप में अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकती है।

अनंतिम पंजीकरण से
पूर्व कोई भी निरीक्षण
न होना।

18. अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने से पूर्व नैदानिक स्थापना, इसके भवन, प्रयोगशालाओं, उपकरणों इत्यादि का कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

अनंतिम पंजीकरण
प्रमाण-पत्र की
वैधता।

19. धारा 20 के उपबन्धों के अध्याधीन, प्रत्येक अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र इसके जारी होने की तिथि से चौबीस मास के अन्तिम दिन तक वैध होगा और ऐसा पंजीकरण नवीकरणीय होगा।

अनंतिम पंजीकरण के
लिए समय सीमा।

20. जहाँ नैदानिक स्थापनाओं जिनके संबंध में मानकों को अधिसूचित किया गया है, वहाँ अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र,—

- (i) उन नैदानिक स्थापनाओं जो ऐसी अधिसूचना से पूर्व अस्तित्व में थीं, के लिए मानकों की अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद ;
- (ii) उन नैदानिक स्थापनाओं जो ऐसी अधिसूचना से बाद अस्तित्व में आईं, के लिए मानकों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद, प्रदान नहीं किया जाएगा या नवीकृत नहीं किया जाएगा।

स्थायी पंजीकरण
प्रमाण-पत्र के लिए
आवेदन।

21. किसी नैदानिक स्थापना द्वारा स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को ऐसे प्ररूप तथा रीति में किया जाएगा और यथाविहित ऐसी फीस लगाई जाएगी।

स्थायी पंजीकरण के
लिए शर्तें।

22. (1) प्रत्येक नैदानिक स्थापना स्थायी पंजीकरण के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी —

- (i) सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक ;
- (ii) कार्मिक की न्यूनतम अपेक्षा ;
- (iii) अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उपबन्ध ; तथा
- (iv) ऐसी शर्तें जो विहित की जाएं।

(2) अन्तरंग सुविधा सहित नैदानिक स्थापना किसी वैयक्तिक जो ऐसे व्यक्ति की स्थिरता के लिए किसी ऐसी नैदानिक स्थापना में आता है या लाया जाता है की आपात चिकित्सा स्थिति के लिए यथा अपेक्षित उक्त नैदानिक स्थापना के लिए बेहतर उपलब्ध स्रोतों के अनुसार और विहित मानकों के अनुसार उपलब्ध अमले तथा सुविधाओं के अन्तर्गत ऐसा चिकित्सा परीक्षण तथा उपचार/प्रथम उपचार उपलब्ध करवाएंगी।

आवेदन का सत्यापन।

23. नैदानिक स्थापना मानकों की अनुपालना, यथाविहित ऐसी रीति में, की गई है, के साक्ष्य सहित वचनबन्ध प्रस्तुत करेगी।

24. राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना ऐसी अवधि के लिए जो विहित की जाए, आवेदन अनुज्ञात या के भीतर - अननुज्ञात करना।

- (क) यथा विहित ऐसे प्ररूप और रीति में प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आदेश पारित करेगी ; या
- (ख) प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन को अनुज्ञात करने हेतु आदेश पारित करेगी :

परन्तु यदि आवेदन अननुज्ञात किया जाता है, तो राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना ऐसा करने के लिए कारण अभिलिखित करेगी।

25. स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए किसी आवेदन के अननुज्ञात होने पर स्थायी पंजीकरण के लिए नया आवेदन।
स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए, कमियां जिनके कारण पहले आवेदन अननुज्ञात कर दिया था को परिशोधित करके यथा अपेक्षित ऐसे साक्ष्य उपलब्ध करवाने के बाद, नए सिरे से आवेदन करने से कोई नैदानिक स्थापना निवर्जित नहीं होगी।

26. स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना द्वारा, केवल स्थायी पंजीकरण।
स्वयं की संतुष्टि के बाद कि ऐसी नैदानिक स्थापना स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए अपेक्षित विहित मानकों तथा शर्तों को पूरा करती है, प्रदान किया जाएगा।

27. (1) स्थायी पंजीकरण इसके जारी होने की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए स्थायी पंजीकरण की वैधता तथा नवीनीकरण।
वैध होगा।

(2) स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन यथाविहित ऐसी फीस सहित प्रमाण-पत्र की वैधता की समाप्ति से पूर्व छह मास के भीतर किया जाएगा तथा यदि नवीनीकरण का आवेदन नियत अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना यथा विहित ऐसी बढाई गई फीस के भुगतान पर पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुज्ञात कर सकती है।

28. राज्य सरकार नैदानिक स्थापनाओं के विभिन्न प्रवर्गों के पंजीकरण हेतु विभिन्न राज्य सरकार द्वारा फीस विहित कर सकती है। फीस का उद्ग्रहण।

29. प्रमाण-पत्र नैदानिक स्थापना में ऐसी रीति में सहजदृश्य स्थान पर चिपकाया जाएगा ताकि ऐसी स्थापना में आने वाले प्रत्येक को दृश्य हो। प्रमाण-पत्र का प्रदर्शन।

30. यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सम्बद्ध प्राधिकरण नैदानिक स्थापना के अनुरोध पर, यथाविहित ऐसी फीस के भुगतान पर, डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करेगा। डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र।

31. (1) पंजीकरण प्रमाण-पत्र अनन्तरणीय होगा। प्रमाण-पत्र का अनन्तरणीय होना।

(2) स्वामित्व या प्रबन्धन के परिवर्तन की दशा में, नैदानिक स्थापना का अंतरक तथा अंतरिती ऐसे परिवर्तन को, यथा विहित ऐसी रीति में, जारी करने वाले सम्बद्ध प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(3) प्रवर्ग के परिवर्तन की दशा में, नैदानिक स्थापना मूल प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पित करेगी और यथाविहित ऐसी फीस सहित पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए नए सिरे से आवेदन करेगी।

(4) नैदानिक स्थापना के अवरथान के परिवर्तन की दशा में, पंजीकरण प्रमाण-पत्र में ऐसी फीस सहित ऐसी रीति में जो विहित की जाए आवश्यक परिवर्तन शामिल करेगी।

(5) नैदानिक स्थापना के रूप में कृत्य बन्द होने पर, ऐसे नैदानिक स्थापना के संबंध में प्रमाण-पत्र सम्बद्ध प्राधिकरण को अभ्यर्पित किया जाएगा।

नैदानिक स्थापनाओं
का रजिस्टर।

32. (1) जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना इसके द्वारा अननिराम रूप से पंजीकृत की गई नैदानिक स्थापनाओं का रजिस्टर, ऐसे फॉरमेट में, जो विहित किया जाए, संकलित तथा बनाए रखेगी तथा ऐसे प्ररूप तथा रीति में जो विहित की जाए, इस प्रकार जारी प्रमाण-पत्र के ब्यौरे दर्ज करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना रजिस्टर में आगामी मास के सातवें दिन तक पूर्ववर्ती मास के दौरान किए गए सभी परिवर्धनों तथा संशोधन सहित प्रत्येक प्रविष्टि की प्रति राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को यह सुनिश्चित करने के लिए सफ़लाई करेगी कि रजिस्टर राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना द्वारा अनुरक्षित रजिस्ट्रों से अद्यतन है।

रजिस्टर का
रख-रखाव।

33. (1) राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना राज्य में पंजीकृत नैदानिक स्थापनाओं के रजिस्टर ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे ब्यौरे जो विहित किए जाएं, बनाए रखेगी।

(2) राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना राज्य परिषद् को रजिस्टर की प्रति ऐसे फॉरमेट में, जो विहित किया जाए, सफ़लाई करेगी तथा राज्य परिषद् को मासिक आधार पर ऐसे रजिस्टर में किए गए सभी परिवर्धनों तथा अन्य संशोधनों को सूचित करेगी।

पंजीकृत नैदानिक
स्थापनाओं का
निरीक्षण।

34. (1) राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या सम्बद्ध जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या इस द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी पंजीकृत नैदानिक स्थापना, इसके भवन, प्रयोगशालाओं, उपकरणों इत्यादि तथा नैदानिक स्थापना द्वारा संचालित या किए गए कार्य, जैसा यह निर्देश करे, के सम्बन्ध में भी निरीक्षण या जांच करने का अधिकार होगा तथा नैदानिक स्थापना से सम्बन्धित किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में की जाने वाली जांच भी कर सकती है तथा स्थापना इसमें प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए हकदार होगी।

(2) राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या सम्बद्ध जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या इस द्वारा सम्यक् रूप से पंजीकृत कोई अधिकारी पंजीकृत नैदानिक स्थापना के निरीक्षण से पूर्व अड़तालीस घण्टे का नोटिस देगी। निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान किया जाएगा।

(3) राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या सम्बद्ध जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष के संदर्भ में अपने विचार नैदानिक स्थापना को संसूचित करेगी तथा उस पर नैदानिक स्थापना की राय प्राप्त करने के बाद, की जाने वाली कार्रवाई पर नैदानिक स्थापना को मन्त्रणा दे सकती है।

(4) नैदानिक स्थापना कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के अनुसरण में किए जाने के लिए प्रस्तावित की जाती है या की गई है, के सम्बन्ध में सम्बद्ध प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगी तथा ऐसी रिपोर्ट, जैसा सम्बद्ध प्राधिकरण निर्देश करे, ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(5) जहां नैदानिक स्थापना सम्बद्ध प्राधिकरण की सन्तुष्टि के लिए, युक्तियुक्त समय के भीतर, कार्रवाई नहीं करती है, तो यह, नैदानिक स्थापना द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निर्देश जारी कर सकती है तथा नैदानिक स्थापना इसमें यथा निर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

35. (1) यदि, शिकायत पर या अन्यथा, किसी समय किसी नैदानिक स्थापना के पंजीकरण का पंजीकरण होने के बाद, जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या सम्बद्ध जिला प्राधिकरण रद्दकरण नैदानिक स्थापना की संतुष्टि हो जाती है कि,—

(क) पंजीकरण की शर्तों की अनुपालना नहीं की जा रही है ; या

(ख) यथाविहित किन्हीं मानकों या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों की ऐसी घोर उल्लंघना करती है, तो वह नैदानिक स्थापना को एक मास की अवधि के भीतर, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है कि क्यों न इसका प्रमाण-पत्र नोटिस में वर्णित कारणों से रद्द कर दिया जाए।

(2) यदि नैदानिक स्थापना को युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना की सन्तुष्टि हो जाती है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना की गई है, तो यह राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को इसके पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।

(3) राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना शिकायत पर या अन्यथा या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामलों में, यदि सन्तुष्ट हो जाती है, तो सम्बद्ध नैदानिक स्थापना को सुनवाई का अवसर देने के बाद पंजीकरण रद्द कर सकती है।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश —

(क) जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, तब तुरन्त ऐसी अपील के लिए विहित अवधि की समाप्ति पर ; तथा

(ख) जहां ऐसी अपील की गई है तथा यह खारिज कर दी गई है, तब ऐसे खारिजी आदेश की तिथि से प्रभावी होगा :

परन्तु राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना, कारण अभिलिखित करते हुए पंजीकरण रद्द करने के बाद, तुरन्त नैदानिक स्थापना को ऐसे रूप में चलाए जाने से अवरुद्ध कर सकती है, यदि वहां रोगी के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को आसन्न खतरा है।

अपंजीकृत नैदानिक
स्थापना चलाने का
वर्जन।

36. (1) राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या सम्बद्ध जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या इस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि सन्देह का कोई कारण है कि कोई पंजीकरण के बिना या पंजीकरण के रद्दकरण के बाद या धारा 35 की उप-धारा (4) के परन्तुक के अधीन आदेशों के अवरोध के बाद या शिकायत पर या अन्यथा, कोई नैदानिक स्थापना चला रहा है, तो किसी युक्तियुक्त समय पर, उस नैदानिक स्थापना से सम्बन्धित ऐसे मामले या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में की जाने वाली जांच करने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रवेश कर सकता है तथा खोज कर सकता है तथा नैदानिक स्थापना निरीक्षण या जांच के लिए युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगी तथा इस कारण से प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए हकदार होगी।

(2) यदि राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना द्वारा जांच करने के बाद या जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की रिपोर्ट पर, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना की संतुष्टि हो जाती है कि उक्त नैदानिक स्थापना अपंजीकृत है या पंजीकरण के रद्दकरण के बाद या अवरोध आदेशों के पारित होने के बाद चला रहा है, तो वह जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक हो सकता है सहित ऐसी नैदानिक स्थापनाओं को तुरन्त बन्द करने हेतु आदेश पारित करेगी।

(3) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (2) के अधीन बन्द के आदेश के बाद किसी नैदानिक स्थापना को निरन्तर चलाता है, तो साधारण कारावास की ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्ष तक हो सकती है तथा जुर्माने जो पांच लाख रुपए तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

जुर्माने का
अधिशोषण।

37. (1) राज्य सरकार ऐसी उल्लंघनाएं तथा उसके लिए पांच लाख रुपए से अनधिक का जुर्माना विहित कर सकती है, जिसके लिए कोई भी जुर्माना इस अधिनियम में उपबन्धित नहीं किया गया है।

(2) जो कोई भी जानबूझकर किसी नैदानिक स्थापना जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत नहीं है, में सेवा देता है, तो ऐसे जुर्माने जो एक मास के सकल वेतन या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई भी जानबूझकर किसी व्यक्ति या ऐसे निदेश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त प्राधिकरण द्वारा विधिपूर्ण रूप से दिए गए किसी निदेश की अवज्ञा करता है, तो ऐसे जुर्माने जो एक लाख रुपए तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

(4) जो कोई भी इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सप्लाई की जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना को जानबूझकर रोकता है या ऐसी सूचना देता है जो वह जानता है कि झूठी है या जिस पर उसे सच होने का विश्वास नहीं है, तो जुर्माने जो दो लाख रुपए तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन अभियोजित किए जाने के लिए भी दायी होगा।

(5) उप-धारा (3) तथा (4) के अधीन न्यायनिर्णित के प्रयोजन के लिए, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना कोई जुर्माना अधिशोषित करने के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद विहित रीति में जांच करेगी।

(6) जांच करने के दौरान, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को सम्मान करने तथा हाजिर कराने, साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए उपयोगी है या विषयवस्तु से सम्बन्धित है, की शक्ति होगी तथा यदि ऐसी जांच पर, वह सन्तुष्ट हो जाती है कि व्यक्ति उप-धारा (3) तथा (4) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों की पालना करने में असफल रहता है, तो वह आदेश द्वारा उन उप-धाराओं में विनिर्दिष्ट जुर्माना आदेश के तीस दिन के भीतर जमा करवाए जाने के लिए अधिरोपित कर सकती है।

(7) जो कोई भी ऐसी कमियाँ जो विहित की जाएं के कारण इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करता है जो किसी रोगी के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को कोई आसन्न खतरा प्रकट नहीं करता है तथा श्रुक्तियुक्त समय के भीतर परिशोधित किया जा सकता है, तो जुर्माने जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

(8) जुर्माने की मात्रा निर्धारित करते समय, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना, नैदानिक स्थापना का प्रवर्ग, आकार तथा किस्म तथा क्षेत्र की स्थानीय परिस्थिति जिसमें ऐसी नैदानिक स्थापना अवस्थित है, हिसाब में लाएगी।

38. अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगी।

जुर्माना अधिरोपित करने के लिए प्राधिकरण।

39. जुर्माना भुगतान करने में असफल रहने पर, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना ऐसे व्यक्ति से देय जुर्माना विनिर्दिष्ट करते हुए इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र तैयार करेगी, तथा इसे जिला के कलक्टर को, जिसमें ऐसा व्यक्ति अपनी कोई सम्पत्ति रखता है या निवास करता है या अपना कारोबार करता है, भेजेगा तथा उक्त कलक्टर, ऐसे प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) के उपबन्धों के अनुसार उसके अधीन विनिर्दिष्ट राशि ऐसे व्यक्ति से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो ये भू-राजस्व के बकाया थे।

जुर्माने की वसूली।

40. (1) अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र देने या नवीनीकरण करने से इन्कार करने वाले जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को अपील कर सकता है :

(2) उप-धारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को अपील दायर कर सकता है।

(3) स्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र देने या नवीनीकरण करने से इन्कार करने या अनन्तिम या स्थाई पंजीकरण के प्रमाण-पत्र के रद्दकरण या नैदानिक स्थापना को बन्द करने वाले राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को अपील कर सकता है।

(4) उप-धारा (1), (2) या (3) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में की जाएगी तथा ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, की जाएगी।

(5) अपील प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना विहित अवधि की समाप्ति के बाद अपील ग्रहण कर सकती है, यदि वह संतुष्ट हो जाती है कि अपीलार्थी को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(6) अपील प्राधिकरण नैदानिक स्थापना का निर्णय अन्तिम होगा।

अपराध का संज्ञान।

41. (1) कोई भी न्यायालय राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा की गई शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय होगा।

सदभावपूर्वक की गई कार्यवाई का संरक्षण।

42. कोई बात जो सदभावपूर्वक की गई है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों के अनुसरण में किए जाने के लिए आशयित है, के सम्बन्ध में किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी सदस्य या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

निर्देश देने की शक्ति।

43. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना स्वयं को या जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को विवरणियां, आंकड़े प्रस्तुत करने सम्बन्धी या कोई अन्य सूचना जो वह अपेक्षा करे, नैदानिक स्थापनाओं को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

विवरणियां इत्यादि प्रस्तुत करना।

44. प्रत्येक नैदानिक स्थापना सम्बद्ध जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना या राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को ऐसे समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी विवरणियां या आंकड़े तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी।

कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

45. राज्य परिषद् राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना और जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना का प्रत्येक सदस्य, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45), की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझा जाएगा।

सिविल न्यायालय की शक्तियां।

46. इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए, अपील प्राधिकरण नैदानिक स्थापना, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना और जिला प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5), के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन जारी करना तथा हाजिर कराना और शपथ-पत्र पर उसके ध्यान लेना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण या पेश किया जाना आवश्यक होना ;

- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना ;
- (घ) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन निकालना ;
- (ङ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं।

47. किसी सिविल न्यायालय को कोई वाद, निपटाने, विनिश्चय करने या किसी अधिकारिता का मामले में कार्रवाई करने जो इस अधिनियम के अधीन है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण वर्जन। द्वारा निपटाए जाने, विनिश्चित किए जाने या कार्रवाई किए जाने के लिए अपेक्षित है, को ग्रहण करने या कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी।

48. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती कठिनाइयां दूर करने है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस अधिनियम की प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद कोई भी ऐसा आदेश नहीं किया जाएगा।

49. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित नियम बनाने की करने के लिए नियम बना सकती है। शक्ति।

(2) विशिष्टतया: तथा पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :-

- (क) आवेदन के विवरण सहित दायर किया जाने वाला प्ररूप तथा अनन्तिम पंजीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस ;
- (ख) आवेदन के विवरण सहित दायर किया जाने वाला प्ररूप तथा स्थाई पंजीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस ;
- (ग) अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र में अन्तर्विष्ट ब्यौरे तथा सूचना ;
- (घ) स्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र में अन्तर्विष्ट ब्यौरे तथा सूचना ;
- (ङ) डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस ;
- (च) प्राधिकरण को नैदानिक स्थापना सूचित किए जाने वाले स्वामित्व या प्रबन्धन के परिवर्तन ;
- (छ) अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु भुगतान की जाने वाली फीस ;
- (ज) अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद नवीनीकरण के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस में वृद्धि करना ;

- (अ) स्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु भुगतान की जाने वाली फीस ;
- (ज) स्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद नवीनीकरण के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस में वृद्धि करना ;
- (ट) मानकों का अनुपालन करने वाली नैदानिक स्थापनाओं द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की रीति ;
- (ठ) नैदानिक स्थापनाओं के विभिन्न प्रवर्गों हेतु पंजीकरण के लिए विभिन्न फीस ;
- (ड) नैदानिक स्थापना में प्रवेश तथा तलाशी की रीति ;
- (ड) प्ररूप, फीस रीति तथा अवधि जिसके भीतर अपील विभिन्न प्राधिकरणों के सम्मुख की जा सकती है ;
- (ण) रजिस्टर बनाए रखने के लिए प्ररूप तथा रीति ;
- (त) जांच करने के लिए रीति ;
- (थ) रीति तथा समय जिसके भीतर विवरणियां और सूचना प्रस्तुत की जानी है ;
- (द) गैर-सरकारी सदस्यों के लिए भत्ते ;
- (ध) नैदानिक स्थापनाओं के लिए मानक का निर्धारण ;
- (न) अभिलेख तथा रिपोर्टिंग का रख-रखाव ;
- (प) सिविल न्यायालय की शक्तियां ;
- (फ) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यहां एक साधारण अवबोधन है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रबन्धकों के लिए वर्तमान विनियामक अपर्याप्त है या स्वास्थ्य सेवाओं की स्वीकारयोग्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अनुकूल नहीं है तथा स्वास्थ्य देखभाल में लापरवाही राकना है। इस समय, हरियाणा राज्य नागरिकों को सार्वजनिक तथा निजी सैक्टरों द्वारा मुहैया करवाई जा रही स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता का कोई भी अधीक्षण तथा विनियमन नहीं है। समय-समय पर संबंधित ने नागरिकों, राज्य सरकार, एन०जी०ओ०, निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रबन्धकों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सहित तथा न्यायपालिका द्वारा पणधरियों की विविधता द्वारा स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाना है के बारे में प्रश्न उठाया है। अपर्याप्त तथा अनुचित उपचार, चिकित्सा कदाचार तथा लापरवाही की गंभीर समस्याओं की उच्चतम तकनीकियों के अत्याधिक प्रयोग से समस्याओं तथा विषयों की रेंज पर विशेष बल दिया गया है। जैसा कि नैदानिक स्थापना के पंजीकरण की कोई भी प्रणाली नहीं है, यहां अवैध कार्यवाहियों को पहचानने का कोई उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त संकटपूर्ण बिमारियों की देखभाल के लिए जो मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा प्रस्तुत करती है, तथा स्वास्थ्य सूचकों, रणनीति, अनुभव तथा सभी नैदानिक स्थापनाओं के आरपार हिस्सा करने वाली आवश्यक जानकारी की कुंजी सुधारने के लिए प्रस्तुत करने हैं। राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का सफल वितरण केवल तभी संभव है जब स्वास्थ्य सेवाओं के पंजीकरण तथा अनुरक्षण के मानकों का संतुलित विनियामक कार्य रचना हो। तदानुसार, यह महसूस किया गया है कि सम्पूर्ण हरियाणा राज्य यहां नैदानिक स्थापना के पंजीकरण के लिए तथा नैदानिक स्थापनाओं द्वारा सुविधाओं तथा सेवाओं के एक समान मानकों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधान की तत्काल आवश्यकता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, हरियाणा नैदानिक स्थापना (पंजीकरण तथा विनियमन) विधेयक 2014 विभिन्न पेशेवरों तथा आई०एम०ए० हरियाणा चैप्टर के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

प्रस्तावित विधान की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

- (i) प्रस्तावित विधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता के अधीन राज्य परिषद का गठन मुहैया करता है, जिसमें महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, निदेशक, आयुष विभाग, राज्य चिकित्सा, दन्तक, नर्सिंग तथा फार्मसी परिषद, आई०एम०ए० हरियाणा इत्यादि सदस्य हैं।
- (ii) राज्य परिषद कृत्य पूरे करेगी जैसे की रजिस्टर संकलित करना तथा अद्यतन करना, नैदानिक स्थापनाओं के मानक निर्धारित करना तथा उनके लागूकरण का निरीक्षण करना; नैदानिक स्थापनाओं के सम्बन्ध में आकड़ें संगृहीत करना; राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण के लिए मार्गदर्शन, प्रक्रिया तथा कृत्य अधिकथित करना; औषधि की विभिन्न मान्यता प्राप्त प्रणालियों के अधीन विभिन्न बीमारियों के लिए मार्गदर्शन मानक, प्रक्रिया इत्यादि अधिकथित करना; तथा कोई अन्य कार्य पूरे करना जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं।
- (iii) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नैदानिक स्थापनाओं के लिए, नैदानिक स्थापनाओं के स्थाई पंजीकरण के प्रयोजन के लिए तथा नैदानिक स्थापनाओं इत्यादि के लिए जिला प्राधिकरण के विरुद्ध अपीलें सुनने के लिए राज्य प्राधिकरण गठित करेगी।
- (iv) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नैदानिक स्थापना इत्यादि के अस्थाई पंजीकरण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिले हेतु नैदानिक स्थापना के लिए जिला प्राधिकरण गठित करेगी।

- (v) कोई भी व्यक्ति किसी नैदानिक स्थापना को तब तक स्थापित नहीं करेगा तथा नहीं चलाएगा जब तक उसे प्रस्तावित विधेयक के उपबन्धों के अनुसार पंजीकृत नहीं करवाया जाता।
- (vi) यह प्रस्तावित किया जाता है कि पहले ही अस्तित्व में नैदानिक स्थापना को उनका कारबार चलाने के लिए अस्थायी पंजीकरण के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। अस्थायी पंजीकरण के लिए किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्राधिकरण को विधेयक तथा इसके अधीन बनाए गए उपबन्धों के अनुसार जांच करने की शक्ति होगी।
- (vii) नैदानिक स्थापना को सात वर्ष की अवधि के लिए स्थाई पंजीकरण दिया जायेगा, यदि वे राज्य परिषद/राज्य सरकार द्वारा विहित मानकों को पूरा करती है।
- (viii) संबंधित प्राधिकरणों को इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार अपंजीकृत नैदानिकों को बन्द करने की शक्ति होगी।
- (ix) संबंधित प्राधिकरणों को इस विधेयक के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहने वाली नैदानिक स्थापना पर शारितयां अधिरोपित करने या पंजीकरण रद्द करने की शक्ति होगी।
- (x) फीस की विभिन्न दरें पंजीकरण के लिए तथा अपील दायर करने के लिए प्रभारित की जाएंगी।
- (xi) जिला तथा राज्य स्तर पर नैदानिक स्थापनाओं का एक रजिस्टर होगा।
- (xii) नैदानिक स्थापना के लिए जिला/राज्य प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील करने का उपबन्ध किए गया है।
- (xiii) नैदानिक स्थापना के लिए राज्य प्राधिकरण के निर्णय से यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकरण के पास अपील दायर कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- (xiv) राज्य सरकार को इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन नियम बनाने की शक्तियां होंगी।

राव नरेन्द्र सिंह,
स्वास्थ्य मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 3 मार्च, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा नैदानिक स्थापना (पंजीकरण तथा विनियमन) विधेयक, 2014 में नैदानिक स्थापनाओं पर फीस लगाने तथा जुर्माना लगाने का उपबन्ध अधिरोपण विधेयक की धारा 28 तथा 37 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:—

28. राज्य सरकार नैदानिक स्थापनाओं के विभिन्न प्रवर्गों के पंजीकरण हेतु विभिन्न फीस विहित कर सकती है।

37. (1) राज्य सरकार ऐसी उल्लंघनाएं तथा उसके लिए पांच लाख रुपए से अनधिक का जुर्माना विहित कर सकती है, जिसके लिए कोई भी जुर्माना इस अधिनियम में उपबन्धित नहीं किया गया है।

(2) जो कोई भी जानबूझकर किसी नैदानिक स्थापना जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत नहीं है, में सेवा देता है, तो ऐसे जुर्माने जो एक मास के सकल वेतन या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई भी जानबूझकर किसी व्यक्ति या ऐसे निदेश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त प्राधिकरण द्वारा विधिपूर्ण रूप से दिए गए किसी निदेश की अवज्ञा करता है, तो ऐसे जुर्माने जो एक लाख रुपए तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

(4) जो कोई भी इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सप्लाई की जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना को जानबूझकर रोकता है या ऐसी सूचना देता है जो वह जानता है कि झूठी है या जिस पर उसे सच होने का विश्वास नहीं है, तो जुर्माने जो दो लाख रुपए तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन अभियोजित किए जाने के लिए भी दायी होगा।

(5) उप-धारा (3) तथा (4) के अधीन न्यायनिर्णित के प्रयोजन के लिए, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना कोई जुर्माना अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद विहित रीति में जांच करेगी।

(6) जांच करने के दौरान, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना को मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को सम्मन करने तथा हाजिर कराने, साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए उपयोगी है या विषयवस्तु से सम्बन्धित है, की शक्ति होगी तथा यदि ऐसी जांच पर, वह सन्तुष्ट हो जाती है कि व्यक्ति उप-धारा (3) तथा (4) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों की पालना करने में असफल रहता है, तो वह आदेश द्वारा उन उप-धाराओं में विनिर्दिष्ट जुर्माना आदेश के तीस दिन के भीतर जमा करवाए जाने के लिए अधिरोपित कर सकती है।

(7) जो कोई भी ऐसी कमियां जो विहित की जाएं के कारण इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करता है जो किसी रोगी के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को कोई आसन्न खतरा प्रकट नहीं करता है तथा युक्तियुक्त समय के भीतर परिशोधित किया जा सकता है, तो जुर्माने जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

(8) जुर्माने की मात्रा निर्धारित करते समय, राज्य प्राधिकरण नैदानिक स्थापना, नैदानिक स्थापना का प्रवर्ग, आकार तथा किस्म तथा क्षेत्र की स्थानीय परिस्थिति जिसमें ऐसी नैदानिक स्थापना अवस्थित है, हिसाब में लाएगी।

राजकोष में कोई अनुमानित आय जमा नहीं की जा सकती, जैसा की फीस का उद्ग्रहण तथा जुर्माना के अधिरोपण का प्रावधान नहीं किया है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

प्रस्तावित खण्ड 49 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। अतः, शक्तियों के प्रत्यायोजित का यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।